उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

संशोधित सूचना/विज्ञप्ति

पुरूषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरूषों के लिए प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती-2020-21

संख्याःपीआरपीबी- दो-2(3 वि0)/2020 **दिनांकः अप्रैल 7, 2021**

बोर्ड की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित- 25-02-2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस में **उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी एवं अग्निशमान द्वितीय अधिकारी, वेतनमान-पे बैण्ड-9300-34800 व ग्रेड पे-4200 के क्रमशः 9027, 484 एवं 23 अर्थात कुल-9534 रिक्त पदों हेतु** ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली – 2015 यथा संशोधित के क्रम में उक्त विज्ञप्ति दिनांकित 25-02-2021 में निम्नांकित बिन्दुओं को एतदद्वारा संशोधित किया जाता है :-

विज्ञप्ति का बिन्दु सं0	पूर्व में अंकित	एतद्द्वारा संशोधित बिन्दु
3.4 आयुः-	भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः- अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दि0 01.07.1993 से पूर्व तथा दि0 01.07.2000 के पश्चात् न हुआ हो ।	भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः- अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दि0 02.07.1993 से पूर्व तथा दि0 01.07.2000 के पश्चात् न हुआ हो ।
3.6-वैवाहिक प्रास्थिति-	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष/महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।	ऐसा कोई पुरूष/स्त्री – क- जिसने किसी ऐसी स्त्री /पुरूष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या ख- जिसकी पति/पत्नी जीवित होते हुए किसी स्त्री/ पुरूष से विवाह किया हो, उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाये कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिये लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह ऐसा किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

2- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन के अनुरूप आवेदन करना सुनिश्चित करें।

7/4/21

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।